गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय)

आई.ई.टी.परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ-226021

फोन: 0522-2732190, फैक्स: 0522-2732944

पत्रांक (4443J) उ0प्र0प्रा0वि0/वित्त-मु./10-11

दिनांक: फरवरी 24/25 - 2011

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य
गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय
से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषय: गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ की बैठकों/परीक्षा संबंधी कार्यो एवं अन्य कार्यों हेतु की जाने वाली यात्राओं के यात्रा व्यय बिल भुगतान के संबंध में।

महोदय,

मुझे सूचित करना है कि गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के यात्रा व्यय नियमों में विश्वविद्यालय की वित्त समिति द्वारा निम्नलिखित संशोधन किया गया है-

"प्रोफेसर अथवा उससे उच्च श्रेणी के शिक्षक अथवा रू.8,900.00 ग्रेड पे से अधिक ग्रेड पे के राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कार्यो हेतु आदेशानुसार की जाने वाली यात्राओं हेतु अर्ह श्रेणी अथवा वास्तविक यात्रा व्यय जो न्यूनतम हो का भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर अथवा उससे उच्च श्रेणी के शिक्षक अथवा रू. 8,900.00 ग्रेड पे से अधिक ग्रेड पे के अधिकारियों द्वारा टैक्सी से यात्रा की जाती है, तो ए.सी. टैक्सी से यात्रा करने पर अधिकतम रू.8.00 प्रति किमी. का भुगतान रसीद प्रस्तुत करने पर किया जाये, इसके अतिरिक्त शिक्षकों/अधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय कार्यो हेतु की गई यात्राओं के लिये, यदि यात्रा का साक्ष्य दिया जाता है तो अर्ह श्रेणी अथवा वास्तविक व्यय में से जो भी कम हो उसका भुगतान किया जाये। यदि यात्रा का साक्ष्य नहीं दिया जाता है तो रेलवे की तृतीय श्रेणी वातानुकूलित का यात्रा व्यय अथवा रू.4.50प्रति किमी जो भी कम हो उसका भुगतान किया जाये।"

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस संशोधन के अतिरिक्त शेष यात्रा व्यय नियम पूर्ववत् रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि भविष्य में की जाने वाली यात्राओं के लिये तदनुसार यात्रा देयक प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(महावीर सिंह)
वित्त अधिकारी